रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 12 अगस्त, 1989/21 श्रावण, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24 जुलाई, 1989

संख्या स्वा०-ज०(7)-1/80-पार्ट.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः तहसील चौपाल, जिला शिमला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेरवा के भवन निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, चौपाल (एस०डी० एम० चौपाल), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

1823-राजपत्र/89-12-8-89—1,169.

मूल्यः 1 रुपया।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, चौपाल (एस0 डी0 एम0 चौपाल), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : चौपाल

स्थान का नाम	चक		खसरा नं0	रकबा	
				बीघा	बिस्वा
नेरवा	शवाला		1455/69	1	17
			1455/70	1	16
		किस्ता	2	3	13
	किहरी		1343/9/2	6	3
				9	16

आदेश द्वारा,
अजय प्रसाद,
सचिव।

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 1989

No. EXN-F (85)-1/87.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 12 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 (Act No. 12 of 1968), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant exemption to the payment of Entertainment duty to the Children's Film entitled "HONHAAR BACHCHEY" (Hindi) for a period of one week in each Cinema Hall in Himachal Pradesh within one year from its release in the public interest.

S. S. SIDHU,
Commissioner-cum-Secretary.

निरीक्षणालय महानिरीक्षक पंजीयन

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जुलाई, 1989

संख्या नं0-आर-8-9 (रजि0)/80—हिमाचल प्रदेश बसीका नवीसी लाईसैंसिंग नियम, 1971 के उप-नियम 6(1) के अन्तर्गत जो शक्तियां मुझे प्रदत्त की गई है, मैं, चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, महानिरीक्षक,

पंजीयन, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा के उप-जिला पंजीयन कार्यालयों में वसीका नवीसियों की संख्या इसके पूर्व जारी की गई अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में निम्न प्रकार से निर्धारित करता हूं :—

जिला : कांगड़ा

क्रमांक संख्या	उप-जिला पंजीयन का नाम	वसीका नवीसियों के पद की संख्या
1	2	3
1.	उप-पंजीयन कांगड़ा	8
2.	,, पालमपुर	7
3.	,, नूरपुर	7
4.	,, देहरा	7
5.	,, जयसिंहपुर	2
6.	,, बैजनाथ	2
7.	,, धर्मशाला	4
8.	,, ज्वाली	2
9.	,, इन्दौरा	3
10.	,, बरोह	2
11.	,, खुंडियां	3
12.	,, फतेहपुर	3
13.	,, रक्कड़	3
14.	,, हर-चकीयां	2
15.	,, छीरा	1
16.	,, जसवां	1
	कुल संख्या	57

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,
महा निरीक्षक पंजीयन,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी
हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 22 जुलाई, 1989

विषय :—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस ।

संख्या पी0सी0एन-मण्डी-ए(5) 7/89.— यत: श्री कन्हैया लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत, गोडा गागल तथा श्री प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भड़याल, विकास खण्ड मण्डी सदर के विरुद्ध थाना बल्ह (रत्ती) में धारा 341 व 354 भारतीय दण्ड संहिता क अधीन दिनांक 20-6-89 को श्रीमती रेवती देवी पत्नी श्री किशोरी लाल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रिहक, तहसील सदर के प्रार्थना-पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है;

और यह कि उपरोक्त धारा के अन्तर्गत सर्वश्री कन्हैया लाल व प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में जमानत पर रिहा किया गया;

और यह कि उक्त श्री कन्हैया लाल तथा श्री प्रताप सिंह ने प्रधान के पद पर उपरोक्त घृणित कार्य करके उक्त पद की गरिमा को आघात लगाया है । इसलिए इनका ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर रहना सार्वजनिक के हित में नहीं ।

अत: मैं, डा0 ए0 आर0 बसु, उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी, उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है, सर्वश्री कन्हैया लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत गोडा गागल तथा प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भड़ियाल, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि वह कारण बताएं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा आगामी कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी ।

डा0 ए0 आर0 बसु,
उपायुक्त,
मण्डी मण्डल, मण्डी ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।